BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 29/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

Suo Moto Action on News paper article published in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024 Regarding Illegal Sand Mining at Chitari Ghat of Sindh River" in District- Shivpuri (M.P.)

Vs

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS ….. RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Action taken report in compliance of Hon'ble NGT order dated 19/04/2024		1-6
2.	Copy of Environment Compensation calculation sheet	R-1/ 1	7
3.	Copy of notice issued regarding imposition of EC to Shri Bhupendra rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat dated 13-03-2024	R-1/2	8-9
4.	Copy of reply received from Shri Bhupendra rawat dated 20-03-2024	R-1/3	10
5.	Copy of reply received from Shri Deepu Kewat dated 20-03-2024	R-1/4	11
6.	Copy of reply received from Shri Veer Singh Rawat dated 20-03-2024	R-1/5	12
7.	Copy of letter regarding Environment Compensation imposing on Shri Bhupendra rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat dated 20-03-2024	R-1/6	13-18

8.	Copy of Receipts of Environment compensation amount paid on dated 30-03-2024	R-1/7	19-21
9.	Copy of report prepared by Mining Department, Shivpuri for imposing penalty & EC	R-1/-8	22-23
10.	Notice Issued to illegal sand excavators by SDM Karera for imposing penalty and EC.	R-1/9	24-26
11.	Receipt of Penalty amount paid on date 04-03-2024 & 12-04-2024	R/1-10	27-28

Date: 23.04.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 29/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

Suo Moto Action on News paper article published in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024 Regarding Illegal Sand Mining at Chitari Ghat of Sindh River" in District- Shivpuri (M.P.)

Vs

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS ….. RESPONDENT

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MP PCB

The answering respondent submits that as follows:

1. That the Hon'ble Tribunal in the present case had taken suo motu cognizance based on news item published in "Danik Bhaskar" Daily in the Article published on 16.02.2024 highlighted illegal sand mining at Chitraghat of Sindh River in Shivpuri District of Madhya Pradesh**.**

2. In terms of the Hon'ble Tribunal order dated 19.02.2024 the Joint Committee had filed its report on 18.04.2024.

3. That in the further proceedings of the case the Hon`ble Tribunal vide order dated 19.04.2024 had directed:

"Learned counsel for the State has filed the report of the joint committee. The perusal of the report discloses certain violations for which the State Pollution Control Board has issued notices for realization of environment compensation. Further action taken report may be filed within three weeks."

ACTION TAKEN BY MPPCB (RESPONDENT No. 1) :-

4. That the MP PCB had imposed the Environmental Compensation in relation to the illegal sand mining.

4.1 The amount of environmental compensation has been calculated on the basis of the formula suggested by Hon`ble NGT (P.B.) in the order dated 26.02.2021 in O.A. No. 360/2015. The EC calculation sheet prepared by answering respondent is filed herewith as **Annexure R-1/1**.

4.2 That the notices were issued to the illegal sand excavators to submit their reply before imposing Environmental Compensation. The copy of all these notices is filed herewith as **Annexure R-1/2**.

4.3 That the Board had given the opportunity of hearing to the violators before making the EC final and in pursuance of the same the replies were submitted by the illegal sand excavators namely Shri Bhupendra Rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat are filed herewith as **Annexure R-1/3, R-1/4 and R-1/5**.

4.4 That the replies received from the illegal sand excavators were not satisfactory and thus the EC imposed was made final vide letters dated 20.03.2024. A copy of these letters is filed herewith as **Annexure R-1/6.**

4.5 That the Environmental compensation amount has been deposited by the illegal sand excavators, the compensation deposit receipts are filed herewith as **Annexure R-1/7.** Hence a total amount of Rupees Three Lakh Fifty Nine Thousand Five Hundred Eighty Three Rupees was duly deposited as EC in the present case. The details of the deposit of the EC to MP PCB are as follows:

Details of deposit of Environmental compensation made in MPPCB

(Regarding illegal sand mining)

Name of Depositer	Referance Id	Amount Deposited	Date
EC Amt . Shri Deepu Kewat	1517248171	Rs 119861.00	30/03/2024
EC Amt. Shri Bhupendra Singh Rawat	Referance Id 1517170564	Rs 119861.00	Date 30/03/2024
EC Amt. Shri Beer Singh	Referance Id 1517213727	Rs 119861.00	Date 30/03/2024
		Total Amt Rs 3,59,583/-	

4.6 That the answering respondent submits that the action taken by the Mining Department, District Shivpuri has been provided and the same is filed with this report before the Hon'ble Tribubnal.

5. Action Taken by Mining Department:-

Details of penalty imposed by Mining Department District Shivpuri:-

5.1 The Assistant Mining Officer, District Shivpuri submitted the details report to the mining officer regarding illegal sand excavation from Sehore Ghat & Chitari Ghat at Sindh River, Distt. Shivpuri & proposed penalty as well as Environment compensation under Chapter-5 Rule 18 and 18 (1) of MP Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2022, as amended, Copy of reports attached as **Annexure-R-1/8.**

5.2 That the notices were issued by SDM Karera, District Shivpuri on 22-03-2024 to the illegal sand excavators regarding the penalty & EC amount. The copy of these notices are filed herewith as **Annexure-R-1/9.**

5.3 That the penalty amount has been deposited by the illegal sand excavators, the penalty deposit receipts of which are attached as **Annexure-R-1/10.**

Details of deposit Penalty in mining Dept. (Regarding illegal sand mining)

Depositor Name	Ammount	Payment details	Date of Transaction
Bhupendra Singh Rawat , Deepu Kewat, Beer Singh	Rs 1,50,000.00	ICICI Bank (229) Reference NO 2018450107 Scroll No 000239 dt 04/04/2024	04/04/2024
Bhupendra Singh Rawat , Deepu Kewat, Beer Singh	Rs 3,00,000.00	ICICI Bank (229) Reference NO 2018825440 Scroll No 000394 dt 12/04/2024	12/04/2024
	Total Amount Rs 4,50,000		

6. That the answering respondent most humbly submits that the Hon'ble Tribunal to take the further action taken report on record.

Date: 23.04.2024

Submitted by MPPCB:-

Parul

Place: Bhopal

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Calculation of Environmental Compensation [As per Hon'ble NGT (PB) order dated 26/02/2021 in the matter of OA 360/2015]

EC for Illegal Sand mining:-

Formula- $PV = \sum_{t=1}^{5} \left(\frac{D+RT}{(1+R)t}\right)$

- Severity- Severe Risk Level-4, Risk Factor 1.0 Discount- 5%
- Market Value of illegally mained material (D) = 60x1800= 1,08,000

(Illegally mined Sand = 60 Cum, Market Rate of Sand 1800/Cum)

- Annual value of Foregone Ecological Values = DxRF= 108000x1.0 = 1,08,000
  Present Value of forgone Ecological values @ 5% Discount Rate over 5 year

Present Value	$\frac{1,08,000}{(1+0.05)^1}$	$\frac{1,08,000}{(1+0.05)^2}$	$\frac{1,08,000}{(1+0.05)^3}$	$\frac{1,08,000}{(1+0.05)^4}$	$\frac{1,08,000}{(1+0.05)^5}$

PV = 102857.1+97959.1+93294.4+88851.8+84620.8

PV= 467583.2

NPV= PV-D

NPV= 467583.2-108000

NPV= 359583.2

Total EC Rs. 3,59,583/-

(Saloni Khemariya)	**(D.S.Yadav)**	**(Kalyan Singh)**	**(B.S.Narwaria)**
Chemist	**Chemist**	**Accountant**	**AE**

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1669 **/क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024** **गुना, दिनांक** 13/03/2024

प्रति,

1. श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिंम सिंह रावत,
   निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केबट,
   निवासी ग्राम –दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत
   निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने व जमा करने बावत् सुनवाई का अवसर ।

संदर्भः–
1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड.) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 29/2024
2. सिध नदी के चितारी घॉट एंव आस–पास के क्षेत्र का दिनांक 11/03/2024 को सयुक्त जॉच दौरान प्राप्त जानकारी ।
3. बोर्ड मुख्यालय का आदेश क्रमांक 199/विधि/प्रनिबो/2023 भोपाल दिनांक 11/08/2023 ।
4. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड. बैच) भोपाल द्वारा दिनांक 16/02/2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अवैध उत्खनन... सिध नदी में पनडुब्बियों की कतार शीर्षक से प्रकाशित समाचार का ओ.ए. 29/2024 सुमोटो लिया गया है। जिसमें दिनांक 19/02/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 11/03/2024 को संयुक्त जॉच की गई है। जॉच समिति के समक्ष संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सिध नदी के चितारी घाट, बीजोर घांट, सीहोर घाट आदि स्थानों से अवैधरूप से रेत की निकासी गई है। स्थल पंचनामा अनुसार लगभग 60 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया । माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 मे सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,59,583 अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रू.1,19,861 सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैक के **खाता क्रमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000** में जमा करना होगा । निरीक्षण के समय तैयार किये पंचनामा इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसमे अवैध उत्खननकर्ता के तौर पर आपका नाम उल्लेखित है। **"प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत"** का पालन करते हुये आपको अपने बचाव में यदि कुछ कहना हो अथवा पक्ष प्रस्तुत करना हो तो पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस का अवसर प्रदान किया जाता है। आपके द्वारा अपना पक्ष नियत समय में प्रस्तुत नही करने अथवा जबाव संतोषजनक नही पाये की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित करने का आदेश जारी कर कर दिया जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–
1. डायरेक्टर पर्यावरण (विधि) म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. कलेक्टर , कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी ।
3. खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला शिवपुरी ।

O/C

N.G.T. प्र. क्र. 29/2024

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने व जमा करने बाबत

(1) स्पीड पोस्ट = पोस्ट ऑफिस

जावक क्र. 1669 = जावक दिनांक 13/03/2024

स्पीड पोस्ट दिनांक 13/03/2024 स्पीड पोस्ट नं.

(1). 228567162.IN = श्री भूपेन्द्र रावत = इटमा

(2). 228567159.IN = दिपू केवट = दिहाईया

(3). 228567145.IN = वीर सिंह रावत = राजपुर

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

जावक क्र. 1669

दिनांक 13/03/2024

भारतीय डाक
India Post

ET228567162IN IVR:4973228567162
SP GATI COMPLEX S.O <473112>
Counter No:1,13/03/2024,13:35
To:BHUPENDRA RAWAT,ITMA
PIN:475110, Dabra S.O
From:MPPCBORD,GATI VIJAYPUR
Wt:10gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

जावक क्र. 1669

दिनांक 13/03/24

भारतीय डाक
India Post

ET228567159IN IVR:49732285671
SP GATI COMPLEX S.O <473112>
Counter No:1,13/03/2024,13:3
To:DEEPU KEVAT,DIHAYALA
PIN:473880, Narwar S.O (Shivpuri
From:MPPCBORD,GATI VIJAYPUR
Wt:10gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

जावक क्र. 1669

दिनांक 13/03/24

भारतीय डाक
India Post

ET228567145IN IVR:4973228567145
SP GATI COMPLEX S.O <473112>
Counter No:1,13/03/2024,13:35
To:VEERSINGH RAWAT,RAJPUR
PIN:473880, Narwar S.O (Shivpuri
From:MPPCBORD,GATI VIJAYPUR
Wt:10gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

19.03.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला–गुना

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बावत।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 163 दिनांक 13/03/2024।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि दिनांक 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से निकासी रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उक्त उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल मेरे द्वारा निकाली गयी 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की राशि 1,19,861/– जमा करने हेतु सहमत हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/–जमा कराकर मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(भूपेन्द्र रावत पुत्र हाकिम रावत)

भूपेन्द्र

19.03.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला–गुना

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 163 दिनांक 13/03/2024।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि f 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से नि रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल द्वारा की गयी उत्खनन की 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में 1,19,861/– जमा करने हेतु सहमत हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/–जमा कराकर मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण स करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(दीपू केवट पुत्र बालू केवट)

दीपू

19.03.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला–गुना

आवक क्र. 647
20/03/24

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 163 दिनांक 13/03/2024।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि दिना 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से निका रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उ उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल द्वारा की गयी उत्खनन की 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में रा 1,19,861/– जमा कराना चाहता हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/–जमा कराकर मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण समा करने का कष्ट करें भविष्य में प्रार्थी के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति नही की जायेगी।

प्रार्थी

(बीर सिंह पुत्र रामकिशन रावत)

बि र सिंह

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला–गुना (म.प्र.)-473112
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com
दूरभाष नं. 07544-274098

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1701 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024 गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिंम सिंह रावत,
निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः– अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।

संदर्भः–(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।
(2) आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 20.03.2024

(1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

(2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।

(3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 मे सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।

(4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है में श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिंम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केबट, निवासी ग्राम –दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

o/c

(5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रू.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैक के **खाता क्रमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000** में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।

(6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमो के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

(1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला–गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1702 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024 गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत
निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषयः- अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।

संदर्भः-(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।
(2) आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 20.03.2024

(1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

(2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।

(3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण कमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 मे सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।

(4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है में श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिंम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केबट, निवासी ग्राम -दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

o/c

(5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रू.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैक के **खाता कमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000** में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।

(6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमो के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

(1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com
दूरभाष नं. 07544-274098

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1703 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024 गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केबट,
निवासी ग्राम -दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषयः- अवैंध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।

संदर्भः-(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।
(2) आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 20.03.2024

(1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

(2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।

(3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 मे सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।

(4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है में श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिंम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केबट, निवासी ग्राम -दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रू.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैक के **खाता कमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000** में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।

(6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमो के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

(1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ICICI Bank

Receipt

Date : 30-Mar-2024, 02:53pm

Reference ID : 1517213727

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 02:53pm

Remarks : Paryavaran Chatipurti Amount Beer singh

Receipt

Date : 30-Mar-2024, 02:34pm

Reference ID : 1517170564

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 02:34pm

Remarks : Paryavaran chatipurti Amount Bhupendra Rawat

ICICI Bank

Receipt

Date : 30-Mar-2024, 03:06pm

Reference ID : 1517248171

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 03:06pm

Remarks : Paryavaran Chatipurti Amount Deepu Kewat

प्रतिवेदन

प्रति,

खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषयः– म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम–2022 के अध्याय–पॉच नियम–18 के तहत अवैध खनिज रेत उत्खनन का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

प्रकरण में लेख है कि, दिनांक 11.03.2024 को खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम सीहोर घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है. क्षेत्र के भाग पर लगभग 40 घ.मी. खनिज रेत एवं पाईप और ड्रम बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन मे संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एम डी ओ) रायॅल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदर्गी मे दिये गये।

उक्त प्रकरण में संलग्न अभिलेख अनुसार पाया गया कि, रेत खनिज का अवैध उत्खनन मे संलिप्त व्यतियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1	अवैध खनिज उत्खननकर्ता मालिक का नाम व पता	:–	1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर 2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला तहसील नरवर जिला शिवपुरी 3. श्री वीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी
2	खनिज जिस स्थान से भरा गया अथवा ले जाया गया उसका विवरण	:–	ग्राम सीहोर सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है. के भाग पर
3	जाँच स्थल/थाना का विवरण	:–	ग्राम सीहोर सिंध नदी घाट
4	अवैध उत्खनित खनिज का नाम व तादाद मात्रा (घ0मी0) में	:–	रेत मात्रा–40 घनमीटर
5	खनिज की रॉयल्टी दर (रूपये)	:–	250/– प्रति घनमीटर की दर से 10000/–
6	रॉयल्टी की दर का 15 गुना राशि (रूपये) अर्थशास्ति (म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम नियम–2022 के अध्याय–पॉच नियम 18 (1) संषोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार)	:–	10000 X 15=1,50,000/–(प्रशमन की दशा में)
7	पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम शास्ति के रूप में।	:–	1,50,000/–
8	अर्थदण्ड हेतु प्रस्तावित राशि (अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम)कुल षस्ति रू.म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम–2022के अध्याय–पॉच नियम 18 (1) के तहत अवैध खनिज संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार)	:–	3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र)

उपरोक्तानुसार उत्खननकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किये जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबन्धों के अनुसार प्रकरण उप नियम (1) में यथा विहित प्रधिकारी के समक्ष कार्यवाही किये जाने एवं नियम 18(5) के तहत उवैध उत्खनन का उल्लंधन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल शास्ति की दुगुनी राशि रूपये 600000/– अधिरोपित किया जाना उचित है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः–

1. पंचनामा,जप्तीनामा/सुपुदर्गी,

12/03/24

सहा. खनि अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

प्रतिवेदन

खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषयः— म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम—2022 के अध्याय—पॉच नियम—18 के तहत अवैध खनिज रेत उत्खनन का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

प्रकरण में लेख है कि, दिनांक 11.03.2024 को खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 01 रकवा 14.67 है. क्षेत्र के भाग पर लगभग 20 घ. मी. खनिज रेत, एक पनडुब्बी एवं पाईप बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन मे संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एम डी ओ) रॉयल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदर्गी मे दिये गये।

उक्त प्रकरण में संलग्न अभिलेख अनुसार पाया गया कि, रेत खनिज का अवैध उत्खनन मे संलिप्त व्यतियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः—

1	अवैध खनिज उत्खननकर्ता का नाम व पता	:—	1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर 2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला तहसील नरवर जिला शिवपुरी 3. श्री वीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी
2	खनिज जिस स्थान से भरा गया अथवा ले जाया गया उसका विवरण	:—	ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 1 रकवा 14.67 है. के भाग पर
3	जाँच स्थल/थाना का विवरण	:—	ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट
4	अवैध उत्खनित खनिज का नाम व तादाद मात्रा (घ0मी0) में	:—	रेत मात्रा—20 घनमीटर
5	खनिज की रॉयल्टी दर (रूपये)	:—	250/— प्रति घनमीटर की दर से 5000/—
6	रॉयल्टी की दर का 15 गुना राशि (रूपये) अर्थशास्ति (म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम नियम—2022 के अध्याय—पॉच नियम 18 (1) संषोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार)	:—	5000 X 15=75000/—(प्रशमन की दशा में)
7	पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम शास्ति के रूप में।	:—	75000/—
8	अर्थदण्ड़ हेतु प्रस्तावित राशि (अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम)कुल षस्ति रू.म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम—2022के अध्याय—पॉच नियम 18 (1) के तहत अवैध खनिज संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार)	:—	150000/— (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)

उपरोक्तानुसार उत्खननकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किये जाने की दशा में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के उपबन्धों के अनुसार प्रकरण उप नियम (1) में यथा विहित प्रधिकारी के समक्ष कार्यवाही किये जाने एवं नियम 18(5) के तहत उवैध उत्खनन का उल्लंधन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल षास्ति की दुगुनी राशि रूपये 300000/— अधिरोपित किया जाना उचित है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः—
1. पंचनामा,जप्तीनामा/सुपुदर्गी,

(हस्ताक्षर) 12/03/24
सहा. खनि अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी, म0प्र0

प्र0क्र0/26 /अ-67/2023-24

दिनांक 08 /04/24

// स्मरण-पत्र //

प्रति

1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत
   निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. श्री दीपू केवट पुत्र बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला
   तहसील नरवंर जिला शिवपुरी म.प्र.
3. श्री वीरसिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर
   तहसील नरवर जिला शिवपुरी

विषय - अवैध परिवहन के प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

संदर्भ - कार्यालयीन सूचना पत्र क्रं./196/अ-67/2023-24 दिनांक 22/03/2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित सूचना सूचना पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि खनिज दल द्वारा जांच के दौरान ग्राम सीहोर घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है0 क्षेत्र के भाग पर लगभग 40 घनमी.खनिज रेत. पाईप और ड्रम बगैर अवैध उत्खनन करते हुये पाये जाने से अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एमडीओ) रायॅल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदर्गी में रखा गया . उक्त से बगैर वैध अभिवहन पास के अवैध उत्खनन करना पाया गया है ।

आपको कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक /196/अ-67/2023-24 दिनांक 22/03/2024 को जारी किया गया था जिसमें आपको अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03/05/2024 को दिनांक 03/04/2024 पढा जावे जिसमें आपको आपके खनिज रेत पाईप और ड्रम बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन खनिज का अवैध परिवहन करते हुये पाये जाने से क्यों न आपके विरूद्व म.प्र. खनिज (अवैध खनन,परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 10 के तहत प्रश्मन किये जाने पर रॉयल्टी की पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि 150000/- रूपये एवं 150000/- वाहन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 300000/- रूपये जमा कराया जाना प्रस्तावित थी जो कि आपके द्वारा आज दिनांक तक प्रश्मन जमा नहीं की गई है आप आज ही तत्काल प्रश्मन की राशि जमा कराना सुनिष्चित करें ।

अत: आपके द्वारा प्रकरण में वर्णित प्रश्मन नहीं किये जाने की स्थिति में म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन भण्डारा का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(5) के तहत अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल शास्ति की दुगुनी राशि रूपये 600000/- अधिरोपित की जावेगी उपस्थित होकर अपना पक्ष/जबाब नियत दिनांक 12/04/2024 को प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी, म०प्र०

दिनांक 22/03/24

प्र०क्र०/195/अ-67/2023-24

// सूचना पत्र //

बनाम

1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत
   निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. श्री दीपू केवट पुत्र बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला
   तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.
3. श्री वीरसिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर
   तहसील नरवर जिला शिवपुरी

विषय - अवैध परिवहन के प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि खनिज दल द्वारा जांच के दौरान ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 01 रकवा 14.67 है० क्षेत्र के भाग पर लगभग 20 घनमी.खनिज रेत. एक पनडुब्बी एवं पाईप खनिज का अवैध उत्खनन करते हुये पाये जाने से अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एमडीओ) रायॅल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदर्गी में रखा गया . उक्त से बगैर वैध अभिवहन पास के अवैध उत्खनन करना पाया गया है ।

आपके खनिज रेत एक पनडुब्बी एवं पाईप बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन खनिज का अवैध परिवहन करते हुये पाये जाने से क्यों न आपके विरूद्व म.प्र. खनिज (अवैध खनन,परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 10 के तहत प्रशमन किये जाने पर रॉयल्टी की पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि 75000/- रूपये एवं 75000/- वाहन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 150000/- रूपये अधिरोपित की जावे अथवा प्रशमन न करने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति एवं वाहन अधिहरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

अतः आप प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष/जबाब नियत दिनांक 03/05/2024 को प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) करैरा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी, म0प्र0

प्र0क्र0/26 /अ-67/2023-24

दिनांक 08 /04/24

// स्मरण-पत्र //

प्रति

1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत
   निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. श्री दीपू केवट पुत्र बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला
   तहसील नरवंर जिला शिवपुरी म.प्र.
3. श्री वीरसिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर
   तहसील नरवर जिला शिवपुरी

विषय - अवैध परिवहन के प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

संदर्भ - कार्यालयीन सूचना पत्र क्रं./196/अ-67/2023-24 दिनांक 22/03/2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित सूचना सूचना पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि खनिज दल द्वारा जांच के दौरान ग्राम सीहोर घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है0 क्षेत्र के भाग पर लगभग 40 घनमी.खनिज रेत. पाईप और ड्रम बगैर अवैध उत्खनन करते हुये पाये जाने से अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एमडीओ) रायॅल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदर्गी में रखा गया . उक्त से बगैर वैध अभिवहन पास के अवैध उत्खनन करना पाया गया है ।

आपको कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक /196/अ-67/2023-24 दिनांक 22/03/2024 को जारी किया गया था जिसमें आपको अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03/05/2024 को दिनांक 03/04/2024 पढा जावे जिसमें आपको आपके खनिज रेत पाईप और ड्रम बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन खनिज का अवैध परिवहन करते हुये पाये जाने से क्यों न आपके विरूद्व म.प्र. खनिज (अवैध खनन,परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 10 के तहत प्रश्मन किये जाने पर रॉयल्टी की पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि 150000/- रूपये एवं 150000/- वाहन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 300000/- रूपये जमा कराया जाना प्रस्तावित थी जो कि आपके द्वारा आज दिनांक तक प्रश्मन जमा नहीं की गई है आप आज ही तत्काल प्रश्मन की राशि जमा कराना सुनिष्चित करें ।

अतः आपके द्वारा प्रकरण में वर्णित प्रश्मन नहीं किये जाने की स्थिति में म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन भण्डारा का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(5) के तहत अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल शास्ति की दुगुनी राशि रूपये 600000/- अधिरोपित की जावेगी उपस्थित होकर अपना पक्ष/जबाव नियत दिनांक 12/04/2024 को प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला शिवपुरी (म0प्र0)

16

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	BHUPENDRA DEEPU VEER SINGH
Address	VILLAGE RAJPUR, DIHAYALA, KARERA, Shivpuri, Madhya Pradesh - 473660
District selected for Payment	Shivpuri
Unique Registration Number (URN)	MPTURN040420240004555
Department and Office Name	Mineral Resources, NYAYALAY S D M SAHAV KARERA
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085304042024000038	2024-04-04 to 2024-12-26	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	ICIC00000550853040420240000286	051/9999999/0853/04/24/001502	150000.00

Total Amount(in figures)	1,50,000.00
Total Amount(in words)	One Lakh Fifty Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	ICICI BANK (229)
Bank Reference Number	2018450107
Scroll No	000239
Scroll Date	04/04/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	04/04/2024 14:47:23
Transaction Status	Success

CS CamScanner

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	BHUPENDRA DEEPU VEER SINGH
Address	VILLAGE RAJPUR, DIHAYALA, KARERA , Shivpuri, Madhya Pradesh - 473660
District selected for Payment	Shivpuri
Unique Registration Number (URN)	MPTURN120420240010444
Department and Office Name	Mineral Resources, NYAYALAY S D M SAHAV KARERA
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085312042024000064	2024-04-12 to 2024-11-27	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	ICIC00000550853120420240000412	051/9999999/0853/04/24/005254	300000.00

Total Amount(in figures)	3,00,000.00
Total Amount(in words)	Three Lakh Rupees Only
Name and Code of the Bank	ICICI BANK (229)
Bank Reference Number	2018825440
Scroll No	000394
Scroll Date	12/04/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	12/04/2024 16:18:17
Transaction Status	Success

CamScanner